

प्रयोगकर्ता नियमावली का शीर्षक

अनुक्रमणिका
प्रस्तावना
पुर्जों की सूची (आरेख/विस्फोटित दृश्य सहित)
तकनीकी रूप
संरक्षा रूप
हथियार का संचालन
गोली भरना
गोली दागना
गोली खाली करना

गोला बारूद
संरक्षा अनुदेश (क्या करें एवं क्या न करें)
रख-रखाव

सफाई करना
तेल देना
भंडारण

गोली दागने की समस्याएं

समान्य समस्याएं
संभाव्य कारण
उपचार
प्रतिपुष्टि फार्म
गारंटी कार्ड

- नोट:-
- (i) समस्त प्रयोगकर्ता नियमावली 12 से.मी×18 से.मी के मानक साईज का होना चाहिए । किसी भी विशेष प्रकार के हथियार के लिए प्रयोगकर्ता सूची सभी निर्माणियों द्वारा निर्गमित हथियारों के लिए उनकी अंतर्वस्तु एक ही तरह की हो । प्रयोगकर्ता सूची हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए किंतु निर्माणी उपभोक्ता के हित में अधिक भाषाओं को भी शामिल कर सकती है ।
 - (ii) हथियारों के रख रखाव एवं संचालन के पूर्ण ब्योरा के साथ एक वीडियो सी.डी. भी प्रयोगकर्ता सूची के साथ उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए
 - (iii) प्रयोगकर्ता सूची और वीडियो सी.डी तैयार करने के लिए लघु शस्त्र निर्माणी और राइफल फैक्टरी, इशापुर क्रमशः .32 रिवाल्वर और .315 राइफल के लिए केंद्रक निर्माणियां होगी ।

वारंटी

1. रिवाल्वर संख्या.
2. क्रय का तारीख
3. निर्माणी का पंजीकरण संख्या.....
4. क्रेता का नाम.....

उपर्युक्त उत्पाद का आवश्यक मरम्मत, समायोजन या पुर्ज का प्रतिस्थापन क्रय के एक वर्ष के अंदर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा ।

1. क्रेता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रिवाल्वर को फैक्टरी को सुपुर्द करना होगा । वैकल्पिक रूप में, क्रेता इसका सर्विसिंग में स्थित सेवा केंद्र में करा सकते हैं ।
2. मरम्मत के पूर्व क्रेता द्वारा गारंटी कार्ड प्रस्तुत करना होगा ।
3. सामान्य प्रयोग के द्वारा विनिर्माणी दोष या सामग्री में दोष इत्यादि को ही वारंटी के लिए उपयुक्त समझा जाएगा ।
4. उत्पाद के गलत रूप में इस्तेमाल, उपेक्षा या किसी घटना के परिणामस्वरूप हुए नुकसान का वारंटी नहीं होगा ।
5. दोषपूर्ण/निम्नकोटि के गोला बारूद के प्रयोग के कारण हुए नुकसान के लिए वारंटी लागू नहीं होगा ।
6. यदि उत्पाद में किसी तरह का परिवर्तन या आशोधन किया गया है या हथियार के क्रम संख्या के साथ छेड़ छाड़ किया गया है तो उक्त अवस्था में भी गारंटी वैध नहीं माना जाएगा ।
7. वारंटी मूल क्रेता के लिए ही लागू होगा ।
8. जिस किसी भी कारण से हथियार को वापस/विनिमय नहीं किया जाएगा।
9. वारंटी अवधि के समाप्ति के बाद मरम्मत – क्रय की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हथियार में उत्पन्न हुए त्रुटि का मरम्मत नकद भुगतान के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए हथियार को फैक्टरी में जमा करना पड़ेगा ।
10. हथियार के कार्य का वारंटी के अंतर्गत और उसके बाद मरम्मत के लिए महाप्रबंधक, निर्माणी का निर्णय इस संबंध में अंतिम और बाध्यक होगा ।

संलग्न: यथोपरि

कृते महाप्रबंधक

व्यक्ति द्वारा हथियार प्राप्त करने का प्रारूप

सेवा में

.....
.....
.....

विषय: .32 रिवाल्वर को प्राप्त करने हेतु

संदर्भ: रजिस्ट्रेशन न०दिनांक

आदरणीय महोदय/महोदया

आपको फील्ड गन फैक्टरी ,कानपुर में दिनांकको .32 रिवाल्वर को प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है । कृपया रिवाल्वर को प्राप्त करने से पूर्व 'चेक लिस्ट' के अनुसार सभी दस्तावेजों को साथ लाएं ।

कृपया हथियार की प्राप्ति के लिए एक दिन पूर्व फैक्ट्री को सूचित करें या उसी दिन प्रातः 08:30 बजे रिपोर्ट करें । सामान्यतया रिवाल्वर की डिलीवरी में तथा आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने में लगभग 4 घंटे लगता है तथा विलम्ब से फैक्ट्री में रिपोर्ट करने पर हथियार की सुपर्दगी समय पर देना संभव नहीं होगा ।

कृपया ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, डी.एम.कानपुर से प्राप्त करने हेतु एक दिन पूर्व कानपुर पहुंचें । यदि यह आपके मामले में आवश्यक हो तो ।

यदि आप निर्धारित उपर दी गई तारीख पर नहीं पहुंचते हैं तो आप अपना हथियार

(क) द्वितीय तिथि (पहली तारीख से 14 दिन के पश्चात) या

(ख) उक्त तिथि (दूसरी तारीख से 14 दिन बाद)

यदि इन तारीखों में से कोई भी तारीख अपरिहार्य कारणों से आपको उपर्युक्त नहीं लगती हो तो आप हथियार को प्राप्त करने के लिए नई तारीख देने हेतु सीधे फैक्ट्री से संपर्क करें/लिखें ।

कृपया नोट करें कि .32 रिवाल्वर का गोला बारूद न तो फैक्ट्री बनाती है और न ही फैक्ट्री इसकी पूर्ती करती है । आप गोला बारूद लाइसेंस धारक आर्म्स डीलर से किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार खरीद सकते हैं ।

धन्यवाद,

भवदीय

कृते महाप्रबंधक

संलग्नक:- जांच सूची